

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक-प.19(07)शिक्षा-2/2016 दिनांक-26.07.18 की पालना में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर द्वारा संचालित बालिका छात्रावासों में निम्नलिखित चयनित आशार्थियों को एक वर्ष के लिए "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान शारदे बालिका छात्रावासों में वार्डन के पद पर किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। संबंधित नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल संबंधित कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति स्थान हेतु कार्यमुक्त कर पालना से अद्यौहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

**शारदे बालिका छात्रावासों में वार्डन पद हेतु :-**

क. सं.	चयनित अभ्यर्थी का नाम (श्रीमती/सुश्री)	पद	अभ्यर्थी का पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान	जिले का नाम मय मुख्यालय शारदे बालिका छात्रावास ब्लॉक का नाम
1	रीतु शर्मा	व0अ0-हिन्दी	आराउमावि, वाटेरा, भीनमाल (जालौर)	राआउमावि, झाडोली (सिरोही)	सिरोही, पिण्डवाडा
2	ज्योत्सना पालावत	व0अ0-अंग्रेजी	राउमावि, चौरडिया (जोधपुर)	राआउमावि, देसूरी (पाली)	पाली, देसूरी
3	राज सिंघल	व0अ0-विज्ञान	रामावि, देराजसर, ब्लॉक डूंगरगढ (बीकानेर)	राउमावि, झर बस्ती (जयपुर)	जयपुर, बस्ती
4	कुसुम सैनी	व0अ0-अंग्रेजी	राउमावि, गुमानसिंहपुरा (जोधपुर)	राउमावि, मालाखेडा उमरैण (अलवर)	अलवर, उमरैण



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/एफ-3/13406/रामाशिप/प्रतिनियुक्ति/2017

दिनांक-27.7.2018

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- शासन उप सचिव-शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 2- अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
- 3- उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, पाली/जोधपुर/बीकानेर
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जालौर/जोधपुर/बीकानेर
- 5- स्टॉफ आफिसर, निजी अनुभाग
- 6- संबंधित सस्था प्रधान/कार्मिक
- 7- रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर